उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान

नियमावली

(अद्यतन संशोधित)

प्रकाशक :
निदेशक
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान
लखनऊ

प्रकाशन वर्ष : 2016

मुद्रित प्रतियाँ : 200

मुद्रक :
रोहिताश्व प्रिण्टर्स
ऐशबाग रोड, लखनऊ

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् उत्तर प्रदेश शासन द्वारा हिन्दी के विकास के लिए कई कदम उठाये गये। उच्चकोटि की पुस्तकें प्रकाशित करने, उत्तम ग्रन्थों के लिए साहित्यकारों को सम्मानित करने तथा राजकाज में हिन्दी को अधिकाधिक व्यावहारिक बनाने के लिए किये गये इन निर्णयों का न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में स्वागत किया गया। हिन्दी समिति तथा हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के प्रकाशन अत्यन्त महत्वपूर्ण माने गये। साहित्यकारों को उत्तम साहित्य लिखने के लिए प्रति वर्ष दिये जाने वाले पुरस्कारों ने पूरे देश के लेखकों का ध्यान आकृष्ट किया, वैसे ही राजकाज में हिन्दी के प्रयोग के लिए पारित किये गये अधिनियमों द्वारा उत्तर प्रदेश शासन ने हिन्दी को उसका वांछित स्थान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये।

पिछले कई वर्षों से शासन द्वारा हिन्दी के विकास-सम्बन्धी किये जाने वाले कार्यों में तालमेल की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की स्थापना इसी आवश्यकता का परिणाम है।

हिन्दी संस्थान एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य करेगा। सम्प्रति इसमें उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, हिन्दी समिति, साहित्यकारों को पुरस्कार तथा पुस्तकों के क्रय की योजना सम्मिलित की गयी है। भविष्य में ऐसे भी कार्यों का समावेश संस्थान अपने उद्देश्यों में करेगा जिनसे हिन्दी का उत्तरोत्तर विकास सम्भव हो सके।

हिन्दी के विकास के सम्बन्ध में प्रदेश में होने वाले सभी कार्यों के समन्वय के साथ-साथ संस्थान देश की सभी प्रमुख भाषाओं के साहित्य पर भी दृष्टि रखेगा जिससे सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी के ऊपर जो महान उत्तरदायित्व आ गया है, उसका सम्यक् निर्वाह वह कर सके।

विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा हिन्दी में दी जा सके, यह निर्णय बहुत पहले किया जा चुका है लेकिन अभी भी सन्दर्भ ग्रन्थों की रचना एवं उनके प्रकाशन की दिशा में बहुत कुछ करना शेष है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि पूरे देश में हिन्दी में संदर्भ ग्रन्थ उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न संस्थाएँ जो कार्य कर रही हैं, उनमें समन्वय स्थापित किया जाय। हिन्दी संस्थान इस दृष्टि से भी प्रयत्नशील रहेगा।

साहित्यकारों को पुरस्कृत करने, उनके द्वारा स्वयं प्रकाशित पुस्तकों पर सहायता देने तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आर्थिक सहायता देने का कार्य भी संस्थान अपने सामर्थ्य के अनुसार करता रहेगा।

हिन्दी पत्रकारिता के विकास के लिए भी संस्थान प्रयत्नशील रहेगा। पत्रकारों के प्रोत्साहन तथा प्रशिक्षण की योजना पर पिछले पत्रकारिता समारोह में विचार किया गया था। संस्थान उन निर्णयों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेगा।

हिन्दी साहित्य की उत्कृष्ट पुस्तकों के चयन और उनके क्रय एवं वितरण के सम्बन्ध में भी संस्थान प्रयत्नशील रहेगा, वैसे ही विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों अथवा लोक भाषाओं के संवर्धन के लिए भी वह प्रयत्न करेगा।

❑❑❑

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ की नियमावली

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान (संशोधित नियमावली-१९९८)

(शासनादेश दिनांक २८.४.१९९८)

१. इस संस्था का नाम उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ होगा। इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

(क) यह नियमावली उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान (संशोधन नियमावली, १९९८ कही जायेगी)।

(ख) यह नियमावली दिनांक २७.४.९८ से प्रभावी होगी। (शासनादेश दिनांक-२८.४.१९९८)।

२. संस्थान का रजिस्टर्ड कार्यालय पुरुषोत्तम दास टण्डन हिन्दी भवन, हजरतगंज, लखनऊ होगा।

३. विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में :-

(क) ''संस्थान'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान से है।

(ख) ''सरकार या राज्य सरकार तथा शासन'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(ग) ''अर्द्ध सरकारी सदस्य'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी संगठन का प्रतिनिधि हो किन्तु जो पदेन सरकारी सदस्य न हो।

(घ) ''गैर सरकारी सदस्य'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो न तो पदेन सरकारी सदस्य हो और न ही अर्द्ध सरकारी सदस्य हो।

४. इस संस्थान के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(१)	मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार	अध्यक्ष	(पदेन सदस्य)
❑(२)	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष	कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष	(सदस्य)
(३)	प्रमुख सचिव, भाषा उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य	(पदेन सदस्य)
(४)	प्रमुख सचिव/सचिव उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य	(पदेन सदस्य)

❑ शासनादेश दिनांक ८.३.९४, २८.४.९८ व २८.६.२००७

■ शासनादेश दिनांक ११.७.२०१६

(५)	सचिव, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य	(पदेन सदस्य)
(६)	सचिव, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश सरकार	,,	,,
(७)	कुलपति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी	,,	,,
(८)	कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	,,	,,
(९)	कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर	,,	,,
(१०)	कुलपति, काशी विद्यापीठ, वाराणसी	,,	,,
(११)	कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	,,	,,
(१२)	कुलपति, कानपुर चन्द्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर	,,	,,
❑(१३)	कुलपति, छत्रपति शाहूजी महाराज, चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (शासनादेश दिनांक १८ जून, २००७)	,,	,,
(१४)	कुलपति, भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, लखनऊ (शासनादेश दिनांक १८ जून, २००७)	,,	,,
(१५)	निदेशक, केन्द्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ	,,	,,
(१६)	निदेशक, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर	,,	,,

❑ शासनादेश दिनांक ८.३.१९९४, २८.४.१९९८ व १८.६.२००७

(१७)	निदेशक, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ	सदस्य	(पदेन सदस्य)
(१८)	सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नयी दिल्ली	,,	,,
(१९)	भारत सरकार द्वारा मनोनीत उपशिक्षा परामर्शदाता, भारत सरकार	,,	,,
(२०)	अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली	,,	,,
(२१)	निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ	,,	सचिव

उपरोक्त के अतिरिक्त अखिल भारतीय महत्व की संस्थाओं के प्रतिनिधि, विभिन्न प्रदेशों तथा भाषाओं के प्रतिनिधि, प्रमुख पत्रों के सम्पादक तथा प्रमुख साहित्यकार और विद्वान, हिन्दी में अभिरुचि रखने वाले विद्वान या प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश स्थित विविध शोध संगठनों के हिन्दी में अभिरुचि रखने वाले विद्वान या प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश स्थिति विविध शोध संगठनों के हिन्दी में अभिरुचि रखने वाले विद्वान व्यक्ति, मेडिकल कालेज तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों के विद्वान एवं हिन्दी की विख्यात संस्थाओं के प्रतिनिधि।

❑५. सदस्यता, सदस्यों का कार्यकाल आदि

(१) इस संस्थान के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य समस्त अर्द्ध सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। अर्द्ध सरकारी या गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन को समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

(२) संस्थान अथवा उसकी कार्यकारिणी समिति अथवा उसकी किसी भी समिति के जो पदेन सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी सदस्य होंगे, उनकी सदस्यता, उस पद की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उस पद के उत्तराधिकारी ऐसे सदस्य हो जायेंगे।

(३) संस्थान, कार्यकारिणी समिति अथवा उसकी किसी समिति के किसी पदेन सदस्य के स्थान पर उत्तर प्रदेश शासन किसी भी समय प्रतिस्थानी को नियुक्त कर सकता है तथा ऐसी नियुक्ति पर अवमुक्त सदस्य के स्थान पर प्रतिस्थानी सदस्य स्थान ग्रहण करेगा।

❑ शासनादेश दिनांक २८.३.७९, १४.७.९२ व १८.६.२००७

(४) गैर सरकारी सदस्यों की दशा में उनकी सदस्यता का कार्यकाल उनकी नियुक्ति से ३ वर्ष का होगा किन्तु ऐसे सदस्य को पुनः नामित किया जा सकता है। जो व्यक्ति किसी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य होगा, उस संगठन द्वारा उसका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिये जाने पर वह सदस्य नहीं रहेगा।

(५) संस्थान का कोई भी सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रह जायेगा यदि उसकी मृत्यु हो जाय, वह त्याग पत्र दे, विकृत मस्तिष्क हो जाय, दिवालिया निर्णीत कर दिया जाय अथवा नैतिक पतन संबंधी दण्डापराध के लिए दोष सिद्ध हुआ हो।

❑(६) यदि कोई सदस्य संस्थान की सदस्यता से त्याग पत्र देना चाहे तो वह सस्थान के कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है, जो स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होगा।

(७) किसी रिक्ति में मनोनीत व्यक्ति सदस्यता के कार्यकाल की असमाप्त अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(८) अपने उद्देश्यों को सफल बनाने में परामर्श लेने के लिए संस्थान किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जिनकी संख्या ५ से अधिक न होगी कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित अवधि के लिए सदस्य या पदेन सदस्य के रूप में सह सदस्य बना सकता है।

(९) संस्थान तथा इसकी कार्यकारिणी समिति अपना कार्य करती रहेगी भले ही उसके किसी अंग में कोई रिक्ति हो और भले ही उसके किसी सदस्य की नियुक्ति अथवा नाम के मनोनीत करने में कोई चूक या विलम्ब हो।

■६. अध्यक्ष और कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष

(१) उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, संस्थान के अध्यक्ष होंगे तथा राज्य सरकार द्वारा नामित एक पूर्णकालीन कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। (शासनादेश दिनांक ३१ अगस्त, २००७)

❍(२) कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार हिन्दी भाषा एवं साहित्य के किसी गैर सरकारी विद्वान व्यक्ति की, की जायेगी, जिनके कार्यकाल की अवधि ०१ वर्ष की होगी। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति बिना सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। उन्हें इस कार्य के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन/मानदेय दिया जायेगा। (शासनादेश दिनांक २८ जून, २००७)

❑ शासनादेश दिनांक ६.६.९४ व २८.४.९८

■ शासनादेश दिनांक १५.७.८१ व ३१.८.२००७

❍ शासनादेश दिनांक ६.६.९४ व २८.६.२००७

■(३) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पूर्णकालीन कार्यकारी अध्यक्ष उनके अधिकारों का प्रयोग करेंगे। (शासनादेश दिनांक २८ जून, २००७)

७. निदेशक तथा लेखाधिकारी

❑(१) कार्यकारिणी तथा सामान्य सभा द्वारा निर्णय किये गये कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए संस्थान में एक वैतनिक निदेशक की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जायेगी। निदेशक कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष के निर्देश पर कार्य करेगा। निदेशक संस्थान तथा कार्यकारिणी समिति का सदस्य तथा सचिव रहेगा।

सचिव एवं निदेशक के कार्य

(क) संस्थान और उसकी कार्यकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।

(ख) संस्थान तथा कार्यकारिणी समिति के निर्देशों का पूर्णतया एवं सम्यक कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व।

(ग) संस्थान के अन्तर्गत विभिन्न प्रभागों के कार्यों का समन्वयन करना तथा उनका कार्यान्वयन में सहयोग देने एवं संस्थान के उद्देश्यों को साकार बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना।

लेखाधिकारी के कार्य

❍(२) राज्य सरकार एक ऐसे वरिष्ठ लेखाधिकारी की नियुक्ति करेगी जो संस्थान के समुचित लेखा तथा अन्य सम्बद्ध अभिलेखों का उत्तरदायी होगा। वह लेखे का वार्षिक विवरण बैलेन्सशीट तथा अन्य अर्थ सम्बन्धी कार्य करेगा। लेखाधिकारी संस्थान के नियमों का पालन करेगा किन्तु आहरण तथा वितरण का अधिकार निदेशक/कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष में निहित होगा। निदेशक/कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष व्यय सम्बन्धी मामलों में अन्तिम निर्णय लेने के अधिकारी होंगे।

८. संस्थान के प्रभाग

(१) **हिन्दी ग्रन्थ अकादमी :** यह प्रभाग मुख्य रूप से विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य पुस्तकें और प्राविधिक तथा अन्य तकनीकी उच्च शिक्षा की संस्थाओं के लिए पाठ्य ग्रन्थ एवं विविध विषयों पर संदर्भ पुस्तकें तैयार करने का कार्य सम्पन्न करेगा। उच्च शिक्षा संस्थाओं में हिन्दी माध्यम हो जाय

■ शासनादेश दिनांक ६.६.९४ व २८.६.२००७

❑शासनादेश दिनांक १५.७.८६, ६.६.९४ व २८.४.९८

❍शासनादेश दिनांक ६.६.९४ व २८.४.९८

एतदर्थ सभी प्रकार के साहित्य सृजन करने का प्रयास करेगा। इस प्रभाग का लेखा अलग से भी रखा जायेगा।

(२) **हिन्दी समिति प्रभाग :** यह प्रभाग हिन्दी वाङ्मय की समृद्धि के लिए प्रयत्नशील होगा। इस सम्बन्ध में गोष्ठी, प्रदर्शनी तथा ऐसे अन्य आयोजन होंगे जिससे हिन्दी भाषा और साहित्य का परिवर्द्धन हो। यह राज्य सरकार की भाषा नीति के कार्यान्वयन की सम्यक् समीक्षा करने तथा समय-समय पर समुचित परामर्श देने का कार्य भी करेगी। इस सम्बन्ध में यदि अनुसंधान आदि की आवश्यकता होगी तो उसकी भी व्यवस्था करेगा। विभिन्न प्रादेशिक, एशियाई तथा अफ्रीकी भाषाओं से लोकप्रिय रचनाओं का हिन्दी में अनुवाद कार्य भी किया जा सकता है।

(३) **हिन्दी प्रोत्साहन प्रभाग :** इसके अन्तर्गत हिन्दी पुस्तकों पर पुरस्कार, हिन्दी पुस्तकों का क्रय तथा हिन्दी साहित्यकारों को आर्थिक सहायता एवं पेंशन प्रदान करने आदि कार्यों की व्यवस्था करेगा।

९. प्रभागों का प्रबन्ध

(१) संस्थान का निदेशक तीनों प्रभागों के कार्यों की देख-रेख करेगा।

■(२) तीनों प्रभागों के लिए तीन वैतनिक उपनिदेशक होंगे जिनकी नियुक्ति पदोन्नति द्वारा चयन समिति की संस्तुति के उपरान्त कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष तथा उनके तैनात न रहने की स्थिति में निदेशक के परामर्श से राज्य सरकार करेगी।

(३) उक्त तीनों प्रभाग, संस्थान की कार्यकारिणी समिति के मार्ग-निर्देशन के अनुसार कार्य करेंगे।

❑(४) कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष जो कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होगा, इन तीनों प्रभागों का भी अध्यक्ष होगा।

❑(५) यदि आवश्यक हुआ तो कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति के परामर्श से ऐसी उप समितियाँ गठित कर सकता है जो उक्त प्रभागों के कार्य के लिए उपयोगी हो किन्तु उप समितियों का अध्यक्ष कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष ही होगा।

१०. सामान्य सभा की बैठक

संस्थान के कार्य सम्पादन के लिए वर्ष में कम से कम एक बैठक सामान्य सभा की होगी, जिसमें संस्थान का बजट, कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के पश्चात् प्रस्तुत किया जायेगा और पारित होगा। सामान्य सभा की बैठक के लिए कम से कम ८ की गणपूर्ति आवश्यक होगी। बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व देनी आवश्यक होगी।

■ शासनादेश दिनांक ३१.८.२००७

❑ शासनादेश दिनांक ६.६.९४ व २८.४.९८

११. सामान्य सभा के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

(१) कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किये गये वार्षिक आय-व्यय को पारित करना।

(२) संस्थान के कार्य तथा प्रशासन संचालन के लिए नियम बनाना, उन्हें अंगीकृत करना एवं समयानुसार उनमें परिवर्तन करना।

(३) संस्थान के लेखाओं की जाँच करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सम्परीक्षकों द्वारा जाँच कराने की व्यवस्था करना।

(४) कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर विचार करना तथा स्वीकृत करना।

(५) संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति एवं कार्यों में अभिवृद्धि हेतु यदि कोई अन्य विषय प्रस्तुत हो, तो उक्त पर विचार करना एवं स्वीकृत करना।

(६) अन्य किसी भी कार्य पर विचार करना जिससे संस्थान के कर्तव्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हो।

१२. कार्यकारिणी समिति

■१२(अ) कार्यकारिणी में निम्नलिखित सदस्य होंगे : शासन द्वारा नामित पदेन सदस्य, सामान्य सभा द्वारा मनोनीत गैर सरकारी व्यक्ति। शासन द्वारा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या शासन के विवेक पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस संस्थान के रजिस्ट्रेशन की तिथि से १२ वर्षों के लिए कार्यकारिणी समिति के ऐसे सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(ब) कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की कार्यावधि तीन वर्ष होगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी सदस्य कार्यावधि के समाप्त होने पर पुनः मनोनीत किया जा सकता है।

(स) कार्यकारिणी समिति के सदस्य की सदस्यता उनके संस्थान के सदस्य न रहने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी।

❑(द) कोई भी सदस्य यदि अपना पद त्याग करना चाहे तो अपना त्याग-पत्र कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष को दे सकता है जो उसके स्वीकृति के दिनांक से प्रभावी होगा।

(च) कार्यकारिणी समिति किसी रिक्ति के होते हुए भी तथा सदस्य के मनोनीत किये जाने में कोई त्रुटि होने पर भी अपना कार्य करती रहेगी।

❑१२(छ) कार्यकारिणी समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार समय-समय पर होंगी किन्तु यदि किसी समय जबकि कार्यकारिणी समिति की बैठक न हो रही हो और कोई कार्य सम्पादन करना अत्यन्त

■ शासनादेश दिनांक ४.४.८६

❑ शासनादेश दिनांक ६.६.९४ व २८.४.९८

आवश्यक हो या तुरन्त कोई कार्यवाही करना अपेक्षित हो तो कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष द्वारा ऐसे कार्य का सम्पादन किया जा सकता है किन्तु इस प्रकार की कार्यवाही का विवरण कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा और कार्यकारिणी समिति इस प्रकार की कार्यवाही का संशोधनों अथवा अपवादों के अधीन यदि कोई हो, अनुसमर्थन कर सकती है।

(ज) कार्यकारिणी समिति में ५ सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति संख्या मानी जायेगी। बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व देनी आवश्यक होगी।

■(झ) इस नियम में पूर्वोक्त उपबंधों में किसी बात के रहते हुए भी उत्तर प्रदेश शासन, अपने विवेक पर कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन कर सकता है और ऐसा पुनर्गठन किये जाने पर खण्ड (अ) के अधीन पहले से मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जायेगा।

१३. कार्यकारिणी समिति के कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

(१) सामान्य सभा के नियंत्रणाधीन संस्थान के सम्पूर्ण कार्यों के कार्यान्वयन की प्राधिकारी।

(२) संस्थान एवं उसके कार्यालय के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी।

(३) सामान्य सभा के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ संस्थान का कार्यक्रम एवं योजना तैयार करना।

(४) सामान्य सभा के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखाओं को तैयार करना।

❍(५) संस्थान के कार्य संचालन हेतु शासन से ऐसे पदों का सृजन कराना जिनकी आवश्यकता हो तथा उन पर नियुक्ति आदि की शर्तें निर्धारित कराना।

❍(६) संस्थान के कर्मचारी वर्ग की नियुक्तियाँ करना, उन्हें स्थायी करना, सेवा-मुक्त करना एवं पदच्युत करना।

❍(७) अन्य समस्त ऐसे कार्य करना जो संस्थान के उद्देश्यों एवं कर्तव्यों की पूर्ति में सहायक हों या संस्थान द्वारा सौंपे जायँ।

❍(८) अपने कार्य संचालन और प्रशासन के लिए समय-समय पर नियम बनाना, उनका अनुपालन करना, उनमें परिवर्तन करना।

❍(९) संस्थान के लिए निधि प्राप्त करना, उसे रखना, उसमें वृद्धि करना तथा संस्थान की सम्पत्ति का प्रबन्ध करना।

■ शासनादेश दिनांक १६.३.७८, २८.१२.७६, ४.३.८३, ४.४.८६, १४.७.६२

❑ शासनादेश दिनांक २.३.८३

❍(१०) संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्त धन का एक रिवाल्विंग फण्ड बैंक में रखना तथा उसका समुचित उपयोग करना।

❍(११) संस्थान के प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति को क्रय करना, विनिमय में लेना, किराये पर लेना अथवा अन्यथा अर्जित करना या उसका निस्तारण करना अथवा सम्पत्ति को दानस्वरूप प्राप्त करना तथा कार्योपरान्त इसकी सूचना राज्य सरकार को देना।

❍(१२) सामान्यतया या किसी तदर्थ प्रयोजन के लिए संस्थान के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए एक या अधिक समिति या उप-समितियों का गठन करना।

❑(१३) ऐसे विषय जिन पर नियमावली में व्यवस्था न होने पर उन विषयों पर उत्तर प्रदेश शासन में स्थापित नियमों के अनुसार कार्यवाही कराना।

१४. लेखा सम्परीक्षण

संस्थान के लेखों की सम्परीक्षा राज्य सरकार की स्वीकृति से नियुक्त किये गये लेखा परीक्षकों द्वारा प्रतिवर्ष की जायेगी।

१५. आय, सम्पत्ति आदि

संस्थान की आय तथा सम्पत्ति के किसी भी भाग का भुगतान या हस्तान्तरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो किसी समय में संस्थान के सदस्य हों या रहें हों अथवा उनमें से किसी भी व्यक्ति को लाभांश बोनस के रूप में या अन्यथा और भी किसी प्रकार से लाभ के रूप में नहीं दिया जायगा। संस्थान की आय उसी के उद्देश्यों को बढ़ाने में लगायी जायेगी।

१६. संलेखों का निष्पादन

■(१६) संलेखों का निष्पादन-संस्थान से सम्बन्धित सभी संविदाएँ तथा अन्य विलेख संस्थान के नाम से किये जायेंगे और संस्थान की ओर से उनका निष्पादन कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष/निदेशक द्वारा किया जायेगा।

१७. विघटन

संस्थान का विघटन हो जाने पर यदि उसके ऋणों तथा दायित्वों का परिशोधन करने के पश्चात् कोई सम्पत्ति शेष रह जाय तो संस्थान के किसी सदस्य को उसका भुगतान नहीं किया जायेगा, किन्तु राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित ढंग से उसका निस्तार किया जायेगा।

❍ शासनादेश दिनांक २.३.८३

❑ शासनादेश दिनांक ३१.८.२००७

■ शासनादेश दिनांक ६.६.९४ व २८.४.९८

१८. सदस्यों को यात्रा-भत्ता आदि

संस्थान कार्यकारिणी समिति अथवा संस्थान या कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्ति की गयी किसी समिति के सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी अथवा परिनियत निकायों के सदस्य या कार्यकर्ता हों, संस्थान अथवा कार्यकारिणी समिति या समितियों की बैठकों में उपस्थित होने अथवा संस्थान या कार्यकारिणी समिति के कार्य के निमित्त की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में यात्रिक तथा दैनिक भत्तों के लिए अपनी सम्बन्धित सरकार या परिनियत निकाय के नियमों से नियन्त्रित होंगे। जहाँ तक उल्लिखित सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों का सम्बन्ध है उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को देय दरों के अनुसार यात्रिक भत्ता तथा दैनिक भत्ता मिलेगा। संस्थान, कार्यकारिणी समिति या समितियों के सदस्यों को कोई अन्य पारिश्रमिक देय न होगा।

१९. संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध मुकदमें

संस्थान की ओर से अथवा उसके विरुद्ध मुकदमें संस्थान के सचिव के नाम से चलाये जायेंगे।

२०. नियमावली में संशोधन

इस संविधान में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने विवेक पर अथवा उत्तर प्रदेश शासन के अनुमोदन के अधीन रहते हुए यथोचित नोटिस देने के उपरान्त उक्त प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलायी गयी सामान्य सभा की बैठक में किया जा सकता है। संशोधन के लिए दो तिहाई बहुमत आवश्यक है।

२१. सामान्य

(क) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, समय-समय पर, संस्थान को ऐसे मामलों में, जिनमें राज्य की सुरक्षा निहित हो अथवा जो पर्याप्त सार्वजनिक हित के हों, उसके कृत्यों के प्रयोग और सम्पादन के सम्बन्ध में निर्देश दे सकते हैं तथा वे ऐसे अन्य निर्देश भी दे सकते हैं जिन्हें वे संस्थान के कार्य संचालन और वित्तीय मामलों तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में आवश्यक समझें और इसी प्रकार किसी ऐसे निर्देश/निर्देशों को परिवर्तित तथा विखण्डित कर सकते हैं। संस्थान इस प्रकार जारी किये गये निर्देश/निर्देशों को तात्कालिक प्रभाव से कार्यान्वित करेगा।

(ख) राज्यपाल संस्थान की सम्पत्ति और उसके कार्य-कलापों के सम्बन्ध में ऐसे विवरण, लेखा तथा अन्य सूचना की माँग कर सकते हैं जिनकी उन्हें समय-समय पर आवश्यकता हो।

❍(ग) उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की नियमावली में जहाँ-जहाँ कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष आया है, उसके स्थान पर कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष रख दिया जायेगा।

❍ शासनादेश दिनांक २८.६.२००७

प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्थान की नियमावली की सही प्रति है।

१. **शशिभूषण शरण,** सचिव, शिक्षा

२. **एन.एम. मजूमदार**, सचिव, वित्त

३. **ठाकुर प्रसाद सिंह**, निदेशक, हिन्दी संस्थान

दिनांक ३० दिसम्बर, १९७६

❑❑❑

स्मृति-पत्र

१. सोसाइटी का नाम ''उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ'' (जिसे आगे 'संस्थान' कहा गया है) होगा, जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा।

२. संस्थान का मुख्यालय एवं रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, पुरुषोत्तम दास टण्डन हिन्दी भवन हजरतगंज, लखनऊ में स्थित होगा।

३. संस्थान के उद्देश्य और कार्य निम्नलिखित होंगे :-

(१) हिन्दी के संवर्द्धन के लिए वर्तमान उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, हिन्दी समिति तथा उत्कृष्ट हिन्दी पुस्तकों के क्रय, साहित्यकारों को पुरस्कर तथा अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करने से सम्बन्धित योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश में किये जा रहे कार्यों का प्रभावी एकीकरण, ताकि हिन्दी से समन्वित विकास हो सके।

(२) विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य पुस्तकों और प्राविधिक तथा अन्य सभी विषयों पर अंग्रेजी व अन्य विभिन्न विदेशी भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद करना व कराना।

(३) विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य पुस्तकों, प्राविधिक तथा अन्य सभी विषयों पर सन्दर्भ पुस्तकों, शब्दकोशों इत्यादि को मूल रूप से हिन्दी में तैयार करना व कराना।

(४) भिन्न-भिन्न विषयों पर शोध पत्र, निबन्ध तथा पत्रिकाएँ मूल रूप से हिन्दी में तैयार करना व कराना।

(५) उपयुक्त पुस्तकों तथा अन्य सामग्री इत्यादि के मुद्रण की व्यवस्था करना और उनके प्रकाशन तथा बिक्री की व्यवस्था करना।

(६) उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पाठ्य चर्चा और पाठ्य विवरण के अनुरूप विभिन्न विषयों पर, जिनमें प्राविधिक विषय भी सम्मिलित हैं, हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य पुस्तक लिखने के लिए शिक्षा की आधुनिक विधियों के ज्ञाता तथा अनुभवी विशेषज्ञ लेखकों का चयन करना और उन्हें प्रोत्साहन देना।

(७) उच्च शिक्षा और उससे सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों में हिन्दी की उन्नति तथा उसके विकास के लिए उपाय करना।

(८) लेखकों या प्रकाशकों द्वारा निजी रूप से तैयार करायी गयी विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य पुस्तकों

के अनुमोदन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और उपयुक्त अधिकारियों की सहायता करना और उन्हें परामर्श देना।

(९) एक ऐसी निधि स्थापित करना, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यवस्थित सभी धनराशि और अन्य स्रोतों जैसे दान, प्रकाशन-अधिकारों की बिक्री, प्रकाशनों की बिक्री इत्यादि से प्राप्त धनराशि जमा की जायेगी।

(१०) उक्त निधि के नाम समस्त धनराशि ऐसे बैंक/बैंकों में जमा करना अथवा इस प्रकार से उसे विनियोजित करना जो संस्थान, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से निर्णीत करे।

(११) संस्थान के लिए चल या अचल सम्पत्ति अर्जित करना, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अचल सम्पत्ति के अर्जन के लिए राज्य सरकार की पूर्ण स्वीकृति आवश्यक होगी।

(१२) राज्य सरकार की अनुमति से संस्थान की समस्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग की बिक्री करना, उसे पट्टे पर उठाना, उसका विनिमय करना अथवा अन्य प्रकार से उसे हस्तान्तरित करना।

(१३) चेक, हुण्डियों (प्रामिसरी नोट) अथवा अन्य संक्राम्यकरण पत्रों (निगेशिबुल इन्स्ट्रूमेंट्स) का आहरण करना, उन्हें तैयार करना, स्वीकार करना, पृष्ठांकित करना तथा सकारना।

(१४) ऐसे ग्रन्थ प्रकाशित करना जो हिन्दी वाङ्मय की समृद्धि के लिए आवश्यक हों, किन्तु जिनका व्यावसायिक भविष्य निश्चित न होने के कारण व्यवसायी प्रकाशक उन्हें प्रकाशित करने में उत्साह नहीं दिखाते।

(१५) हिन्दी वाङ्मय की समृद्धि के लिए ज्ञान के विभिन्न अंगों पर उच्च स्तरीय ग्रन्थों तथा मानक ग्रन्थों की मौलिक रचना तथा हिन्दी में अनुवाद करना।

(१६) जनसाधारण को, उपयोगी ग्रन्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सामान्य शैली में विभिन्न विषयों पर पुस्तकों की रचना, अनुवाद करना/कराना।

(१७) विभिन्न भारतीय भाषाओं की प्राचीन और आधुनिक रचनाओं को हिन्दी में अनूदित करना तथा प्रकाशित करना।

(१८) ऊपर वर्णित ग्रन्थों तथा अन्य सामग्री के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना और प्रकाशित ग्रन्थों की बिक्री की व्यवस्था करना।

(१९) सद्ग्रन्थों के प्रचार और अध्ययन में रुचि बढ़ाने के लिए ग्रन्थों की प्रदर्शनियाँ आयोजित करना।

(२०) ऐसे अन्य सभी कार्य करना जो हिन्दी के प्रचार और प्रसार में सहायक हों।

(२१) हिन्दी में रचित मौलिक और अध्ययन में रुचि बढ़ाने के लिए ग्रन्थों की प्रदर्शनियाँ आयोजित करना।

(२२) हिन्दी में रचित मौलिक ग्रन्थों तथा अन्य भाषाओं से हिन्दी में अनूदित उच्चकोटि की साहित्यिक कृतियों तथा अहिन्दी भाषी साहित्यकारों की उत्कृष्ट मौलिक हिन्दी रचनाओं पर पुरस्कार प्रदान करना।

(२३) हिन्दी लेखकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(२४) हिन्दी पत्रकारिता के विकास तथा संवर्द्धन के लिए आवश्यक कार्यवाही करना।

(२५) हिन्दी की उच्चकोटि की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(२६) हिन्दी साहित्य की उत्कृष्ट पुस्तकों का चयन, क्रय एवं वितरण करना।

(२७) ऐसे सभी प्रासंगिक कार्य करना जिनसे ऊपर निर्दिष्ट उद्देश्यों के आगे बढ़ने की सम्भावना हो।

४. संस्थान की कार्यकारिणी समिति के प्रथम सदस्यों के नाम, पते तथा व्यवसाय निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	नाम	पता	व्यवसाय	पद
१	२	३	४	५
१.	श्री नारायणदत्त तिवारी	मुख्यमंत्री निवास ४-ए, कालीदास मार्ग, लखनऊ	मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार	अध्यक्ष
२.	श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी	२, राजभवन कालोनी, लखनऊ	उपाध्यक्ष, उ०प्र० हिन्दी ग्रंथ अकादमी	कार्यकारी उपाध्यक्ष
३.	श्री शशि भूषण शरण	२४, गौतम पल्ली, लखनऊ	आयुक्त एवं सचिव शिक्षा विभाग, उ०प्र० सरकार	सदस्य
४.	श्री नितिन मजूमदार	८, गौतम पल्ली, लखनऊ	आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० सरकार	सदस्य
५.	श्री रमेश चन्द्र पन्त	३, विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ	आयुक्त एवं सचिव, सूचना विभाग, उ०प्र० सरकार	सदस्य
६.	श्री ठाकुर प्रसाद सिंह	३१, गुलिस्ताँ कालोनी, लखनऊ	उपसचिव, मुख्यमंत्री	निदेशक एवं सचिव

क्र.सं.	नाम	पता	व्यवसाय	पद
१	२	३	४	५
७.	डॉ० एम०एल० धर	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी	कुलपति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय	सदस्य
८.	श्री एस०के० चतुर्वेदी	शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली	उपशिक्षा परामर्शदाता, भारत सरकार	सदस्य
९.	श्री आर०के० छाबड़ा	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नयी दिल्ली	सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	सदस्य
१०.	डॉ० एम०एस० मुथाना	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर	निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	सदस्य
११.	डॉ० हरवंश लाल शर्मा	सी-२/११३, मोतीबाग, नयी दिल्ली	अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार	सदस्य
१२.	प्रो० राजाराम शास्त्री	काशी विद्यापीठ, वाराणसी	कुलपति, काशी विद्यापीठ	सदस्य
१३.	श्री के०एन० कौल	चन्द्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर	कुलपति, चन्द्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय	सदस्य
१४.	श्री भक्त दर्शन	कानपुर विश्वविद्यालय	कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय	सदस्य
१५.	श्री देवी दत्त पन्त	कुमाऊँ, विश्वविद्यालय, नैनीताल	कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय	

५. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता एक संस्था को उपरोक्त स्मृति-पत्र के अनुसार सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, २१ सन् १८६० के अन्तर्गत रजिस्टर कराना चाहते हैं :-

क्र.सं.	हस्ताक्षर	साक्षी का नाम तथा पता	साक्षी का हस्ताक्षर
१.	श्री नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार		
२.	प्रो० वासुदेव सिंह अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा		
३.	श्री बलदेव सिंह आर्य सूचना मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार		
४.	प्रो० अम्मार रिज़वी शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार		
५.	श्री रमेन्द्र वर्मा राज्य मंत्री, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार		
६.	श्री रामायण राय राज्य मंत्री, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार		
७.	श्री शशि भूषण शरण आयुक्त एवं सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार		

दिनांक : लखनऊ ३० दिसम्बर, १९७६

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा (१४) अनुभाग

संख्या - २१६६/१५-(१४)-५२(६)/७७

दिनांक : लखनऊ १६ मार्च, १६७८

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ की नियमावली के नियम-20 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय उक्त नियमावली के नियम १२ के खण्ड (ज) के बाद एक नया खण्ड (झ) निम्नवत् जोड़ने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

(झ) इस नियम में पूर्वांकित उपबन्धों में किसी बात के रहते हुए भी, उत्तर प्रदेश शासन, अपने विवेक पर इस संस्थान के रजिस्ट्रेशन होने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर कार्यकारिणी समिति का समय-समय पर पुनर्गठन कर सकता है और ऐसा पुनर्गठन किये जाने पर खण्ड (अ) के अधनी पहले से मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जायेगा।

जी०पी मित्तल
आयुक्त एवं सचिव

संख्या २१६६(१)/१५-(१४)-५२(६)/७७ तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(१) उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य एवं पदाधिकारी।

(२) सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, नयी दिल्ली।

(३) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(४) रजिस्ट्रार, फर्म्स तथा सोसाइटीज़, उ०प्र०, हलवासिया मार्केट, लखनऊ।

आज्ञा से,
ह० बलवीर प्रसाद सक्सेना
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा (१४) अनुभाग

संख्या - ६३२६/१५-(१४)-५२(६)/७७

दिनांक : लखनऊ २८ मार्च, १९७९

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ की नियमावली के नियम-20 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री राज्यपाल उक्त नियमावली के नियम ५(१) तथा १२(अ) में निम्नलिखित संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

१. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की नियमावली के वर्तमान नियम ५(१) के स्थान पर यह नियम अब निम्नवत् कर दिया जाय :-

५. सदस्यता, सदस्यों का कार्यकाल अदि

१. इस संस्थान के पंजीकरण की तिथि से ६ वर्षों के लिए उपरिलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य समस्त अर्द्ध सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा तथा उसके पश्चात् उसका मनोनयन सामान्य सभा करेगी। उक्त ६ वर्षों की अवधि के पश्चात् किसी अर्द्ध सरकारी या गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन को समाप्त करने का अधिकार सामान्य सभा को होगा।

२. उक्त नियमावली के नियम १२(अ) के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड को निम्नांकित रूप से परिवर्तित कर दिया जाय :-

(अ) किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस संस्थान के रजिस्ट्रेशन होने की तिथि से छः वर्षों के लिए कार्यकारिणी समिति के ऐसे सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

गोपी कृष्ण अरोरा
सचिव

संख्या ६३२६(१)/१५-(१४)-५२(६)/७७ तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(१) उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के समस्त सदस्य एवं पदाधिकारी।

(२) सचिव, भारत सरकार, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, नयी दिल्ली।

(३) रजिस्ट्रार, फर्म्स तथा सोसाइटीज़, उ०प्र०, लखनऊ।

(४) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
ह० गुरुमौज प्रकाश
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा (१४) अनुभाग

संख्या - ४२६७/१५-(१४)-५२(६)/७७

दिनांक : लखनऊ १५ जुलाई, १६८१

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ की नियमावली के नियम-20 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उक्त नियमावली के स्तम्भ-१ में उल्लिखित वर्तमान नियम-६(२) के स्थान पर स्तम्भ २ में उल्लिखित नियम रखे जाने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

६(२) संस्थान में एक कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होगी। उन्हें इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन अथवा मानदेय दिया जायेगा। इनकी नियुक्ति की अवधि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

स्तम्भ-२ प्रतिस्थापित नियम

६(२) संस्थान के एक कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए की जायेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष की नियुक्ति बिना सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। उनको इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन अथवा मानदेय दिया जायेगा।

गोपी कृष्ण अरोरा
सचिव

संख्या ४२६७(१)/१५-(१४)-५२(७)/७६ तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(१) संस्थान के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य एवं पदाधिकारी।

(२) सचिव, भारत सरकार, शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नयी दिल्ली।

(३) शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।

(४) रजिस्ट्रार, फर्म्स तथा सोसाइटीज़, उ०प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से,
हरीन्द्र नाथ
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा (१४) अनुभाग

संख्या - ५९७२/१५-(१४)-५२(५१)/७८

दिनांक : लखनऊ २ मार्च, १९८३

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ की नियमावली के नियम-२० में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उक्त नियमावली के नियम १३ में निम्नलिखित संशोधनों की अनुमति प्रदान करते हैं :-

वर्तमान उप नियम

१. उप नियम (५)

संस्थान के कार्य संचालन हेतु ऐसे पदों का सर्जन करना जिनकी आवश्यकता हो तथा उन पर नियुक्ति आदि की शर्तें निर्धारित करना।

२. उप नियम (६)

संस्थान के समस्त कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण तथा उन पर सामान्य सभा का अनुमोदन प्राप्त करना।

३. उप नियम (९)

अपने कार्य संचालन और प्रशासन के लिए समय-समय पर नियम बनाना, उनका अनुकलन करना, उनमें परिवर्तन करना।

संशोधित उप नियम

१. संस्थान के कार्य संचालन हेतु शासन से ऐसे पदों का सर्जन कराना जिनकी आवश्यकता हो बनाना, उनका अनुकलन करना व उनमें परिवर्तन करना।

शासन के अनुमोदन से अपने कार्य संचालन और प्रशासन के लिए समय-समय पर नियम बनाना, उनका अनुकलन व उनमें परिवर्तन करना।

२. उक्त नियमावली के नियम १३ के उप नियम संख्या (७), (८), (९), (१०), (११), (१२) व (१३) को क्रमशः उप नियम संख्या (६), (७), (८), (९), (१०), (११) एवं (१२) कर दिया जाय।

३. उपरोक्त संशोधन तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

रमेश चन्द्र त्रिपाठी
सचिव

संख्या ५६७२(१)/१५-(१४)-५२(५१)/७६ तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(१) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान।

(२) डॉ० शिव मंगल सिंह 'सुमन', कार्यकारी उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, हिन्दी भवन, लखनऊ।

(३) निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।

(४) उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के अन्य पदाधिकारी।

(५) सचिव, भारत सरकार, शिक्षा और सांस्कृतिक कार्य तथा समाज कल्याण मंत्रालय, नयी दिल्ली।

(६) रजिस्ट्रार, फर्म्स तथा सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(७) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(८) कोषाधिकारी, लखनऊ।

(९) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-११।

(१०) सचिवालय के समस्त अनुभाग (वित्त व्यय नियंत्रण) अनुभाग-११ को छोड़कर।

आज्ञा से,
विनय कृष्ण
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा (१४) अनुभाग

संख्या - २८८/१५-(१४)-५२(६)/७७

दिनांक : लखनऊ ४ मार्च, १९८३

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ की नियमावली के नियम-20 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उक्त नियमावली के स्तम्भ-१ में उल्लिखित वर्तमान नियम-५(१), १२(अ) तथा १२(झ) के स्थान पर स्तम्भ-२ में उल्लिखित नियम रखे जाने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

नियम ५ का वर्तमान उप नियम (१)

(१) इस संस्थान के पंजीकरण की तिथि से ६ वर्षों के लिए उपरिलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य समस्त अर्द्धसरकारी तथा गैरसरकारी सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा तथा उसके पश्चात् उनका मनोनयन सामान्य सभा करेगी। उक्त ६ वर्षों की अवधि के पश्चात् किसी अर्द्धसरकारी या गैरसरकारी सदस्य के मनोनयन को समाप्त करने का अधिकार समान्य सभा को होगा।

नियम ५ का एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

(१) इस संस्थान के पंजीकरण की तिथि से ९ वर्षों के लिए उपरिलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य समस्त अर्द्ध सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायगा तथा उसके पश्चात् उनका मनोनयन सामान्य सभा करेगी। उक्त ९ वर्षों की अवधि के पश्चात् किसी अर्द्धसरकारी या गैर सरकारी सदस्य के मनोनयन को समाप्त करने का अधिकार सामान्य सभा को होगा।

नियम १२ का वर्तमान खण्ड (अ)

(अ) कार्यकारिणी में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

शासन द्वारा नामित पदेन सदस्य, सामान्य सभा द्वारा मनोनीत गैर सरकारी व्यक्ति।

शासन द्वारा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या शासन के विवेक पर घटायी या बढ़ायी जा सकती है। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस संस्थान के रजिस्ट्रेशन होने की तिथि से ६ वर्षों के लिए कार्यकारिणी समिति के ऐसे सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

नियम १२ का एतद् द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड (अ)

(अ) कार्यकारिणी में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

शासन द्वारा नामित पदेन सदस्य, सामान्य सभा द्वारा मनोनीत गैर सरकारी व्यक्ति।

शासन द्वारा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या शासन के विवेक पर घटायी या बढ़ायी जा सकती है। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस संस्थान के रजिस्ट्रेशन होने की तिथि से ६ वर्षों के लिए कार्यकारिणी समिति के ऐसे सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

नियम १२ का वर्तमान खण्ड (झ)

(झ) इस नियम के पूर्वोक्त उपबन्धों में किसी बात के रहते हुए भी, उत्तर प्रदेश शासन, अपने विवेक पर इस संस्थान के रजिस्ट्रेशन होने की तिथि से ६ वर्षों की अवधि के अन्दर कार्यकारिणी समिति का समय-समय पर पुनर्गठन कर सकता है और ऐसा पुनर्गठन किये जाने पर खण्ड (अ) के अधीन पहले से मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जायेगा।

नियम १२ का एतद् द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड (झ)

(झ) इस नियम के पूर्वोक्त उपबन्धों में किसी बात के रहते हुए भी, उत्तर प्रदेश शासन, अपने विवेक पर इस संस्थान के रजिस्ट्रेशन होने की तिथि से ६ वर्षों की अवधि के अंदर कार्यकारिणी समिति का समय-समय पर पुनर्गठन कर सकता है और ऐसा पुनर्गठन किये जाने पर खण्ड (अ) के अधीन पहले से मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जायेगा।

रमेश चन्द्र त्रिपाठी
सचिव

संख्या-२८८(१)/१५-(१४)-५२(६)/७७ तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(१) उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के समस्त सदस्य एवं पदाधिकारी।
(२) सचिव, भारत सरकार, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग), नयी दिल्ली।
(३) शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
(४) वित्त (सेवाएँ) अनुभाग-२/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-११।
(५) रजिस्ट्रार, फर्म्स तथा सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
विनय कृष्ण
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा (१४) अनुभाग

संख्या - १३२०/१५-(१४)-५२(६)/७७

दिनांक : लखनऊ ४ अप्रैल, १९८६

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ की नियमावली के नियम-20 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उक्त नियमावली के स्तम्भ-१ में उल्लिखित वर्तमान नियम-५(१), १२(अ) तथा १२(झ) के स्थान पर स्तम्भ-२ में उल्लिखित नियम रखे जाने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

नियम ५ का वर्तमान उप नियम (१)

(१) इस संस्थान के पंजीकरण की तिथि से ९ वर्षों के लिए उपरिलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य समस्त अर्द्धसरकारी तथा गैरसरकारी सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा तथा उसके पश्चात् उनका मनोनयन सामान्य सभा करेगी। उक्त ९ वर्षों की अवधि के पश्चात् किसी अर्द्धसरकारी या गैरसरकारी सदस्य के मनोनयन को समाप्त करने का अधिकार समान्य सभा को होगा।

नियम ५ का एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

(१) इस संस्थान के पंजीकरण की तिथि से १२ वर्षों के लिए उपरिलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य समस्त अर्द्ध सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा तथा उसके पश्चात् उनका मनोनयन सामान्य सभा करेगी। उक्त १२ वर्षों की अवधि के पश्चात् किसी अर्द्धसरकारी या गैर सरकारी सदस्य के मनोनयन को समाप्त करने का अधिकार सामान्य सभा को होगा।

नियम १२ का वर्तमान खण्ड (अ)

(अ) कार्यकारिणी में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

शासन द्वारा नामित पदेन सदस्य, सामान्य सभा द्वारा मनोनीत गैर सरकारी व्यक्ति।

शासन द्वारा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या शासन के विवेक पर घटायी या बढ़ायी जा सकती है। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस संस्थान के रजिस्ट्रेशन होने की तिथि से ९ वर्षों के लिए कार्यकारिणी समिति के ऐसे सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

नियम १२ का एतद् द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड (अ)

(अ) कार्यकारिणी में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

शासन द्वारा नामित पदेन सदस्य, सामान्य सभा द्वारा मनोनीत गैर सरकारी व्यक्ति।

शासन द्वारा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या शासन के विवेक पर घटायी या बढ़ायी जा सकती है। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस संस्थान के रजिस्ट्रेशन होने की तिथि से १२ वर्षों के लिए कार्यकारिणी समिति के ऐसे सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

नियम १२ का वर्तमान खण्ड (झ)

(झ) इस नियम में पूर्वोक्त उपबन्धों में किसी बात के रहते हुए भी, उत्तर प्रदेश शासन अपने विवेक पर इस संस्थान के रजिस्ट्रेशन होने की तिथि से ६ वर्षों की अवधि के अंदर कार्यकारिणी समिति का समय-समय पर पुनर्गठन कर सकता है और ऐसा पुनर्गठन किये जाने पर खण्ड (अ) के अधीन पहले से मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जायेगा।

नियम १२ का एतद् द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड (झ)

(झ) इस नियम के पूर्वोक्त उपबन्धों में किसी बात के रहते हुए भी, उत्तर प्रदेश शासन, अपने विवेक पर इस संस्थान के रजिस्ट्रेशन होने की तिथि से १२ वर्षों की अवधि के अंदर कार्यकारिणी समिति का समय-समय पर पुनर्गठन कर सकता है और ऐसा पुनर्गठन किये जाने पर खण्ड (अ) के अधीन पहले से मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जायेगा।

जगदीश चन्द्र पन्त
सचिव

संख्या-१३२०(१)/१५-(१४)-५२(६)/७७ तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(१) उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के समस्त सदस्य एवं पदाधिकारी।
(२) सचिव, भारत सरकार, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग), नयी दिल्ली।
(३) शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
(४) वित्त (सेवाएँ) अनुभाग-२/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-११।
(५) रजिस्ट्रार, फर्म्स तथा सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
ह० हरि कृष्ण श्रीवास्तव
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा (१४) अनुभाग

संख्या - १२६१/१५-(१४)-५२(६)/७७

दिनांक : लखनऊ १४ जुलाई, १९९२

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ की नियमावली के नियम-२० द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उक्त नियमावली के स्तम्भ-१ में उल्लिखित वर्तमान नियम-५(१), १२(अ) तथा १२(झ) के स्थान पर स्तम्भ २ में उल्लिखित नियम रखे जाने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

वर्तमान नियम

५(१) इस संस्थान के पंजीकरण की तिथि से १२ वर्षों के लिए उपरिलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य समस्त अर्द्ध सरकारी तथा उसके पश्चात् उनका मनोनयन सामान्य सभा करेगी। उक्त १२ वर्षों की अवधि के पश्चात् किसी अर्द्ध सरकारी या गैर सरकारी सदस्य के मनोनयन को समाप्त करने का अधिकार सामान्य सभा को होगा।

प्रतिस्थापित नियम

५(१) इस संस्थान के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य समस्त अर्द्ध सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। अर्द्ध सरकारी या गैर सरकारी सदस्य के मनोनयन को समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

वर्तमान खण्ड

१२(अ) कार्यकारिणी में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

शासन द्वारा नामित पदेन सदस्य, सामान्य सभा द्वारा मनोनीत गैर सरकारी व्यक्ति।

शासन द्वारा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या शासन के विवेक पर घटायी या बढ़ायी जा सकती है। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस संस्थान के रजिस्ट्रेशन होने की तिथि से १२ वर्षों के लिए कार्यकारिणी समिति के ऐसे सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

प्रतिस्थापित खण्ड

१२(अ) कार्यकारिणी में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

शासन द्वारा नामित पदेन सदस्य, सामान्य सभा द्वारा मनोनीत गैर सरकारी व्यक्ति।

सामान्य सभा द्वारा मनोनीत सदस्य की कार्यावधि समाप्त होने पर तब तक पुनः मनोनीत नहीं किया जा सकेगा जब तक कि सामान्य सभा के सभी सदस्य मनोनीत न हो चुके हों। शासन द्वारा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या शासन के विवेक पर घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

वर्तमान खण्ड

१२(झ) इस नियम में पूर्वोक्त उपबन्धों में किसी बात के रहते हुए भी, उत्तर प्रदेश शासन अपने विवेक पर इस संस्थान के रजिस्ट्रेशन होने की तिथि से १२ वर्षों की अवधि के अंदर कार्यकारिणी समिति का समय-समय पर पुनर्गठन कर सकता है और ऐसा पुनर्गठन किये जाने पर खण्ड (अ) के अधीन पहले से मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जायेगा।

प्रतिस्थापित खण्ड

(झ) इस नियम के पूर्वोक्त उपबन्धों में किसी बात के रहते हुए भी, उत्तर प्रदेश शासन, अपने विवेक पर कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन कर सकता है और ऐसा पुनर्गठन किये जाने पर खण्ड (अ) के अधीन पहले से मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जायेगा।

नवीन चन्द्र बाजपेई
सचिव, उच्च शिक्षा

संख्या-१२६१(१)/१५-१४/९२-५२(१२)/८६ तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(१) उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के समस्त सदस्य एवं पदाधिकारी।
(२) सचिव, भारत सरकार, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग), नयी दिल्ली।
(३) शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
(४) वित्त (सेवायें) अनुभाग-२/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-११।
(५) रजिस्ट्रार, फर्म्स तथा सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
श्याम लाल केसरवानी
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा (१४) अनुभाग

संख्या - सी०एम० ८/१५-१४-९४-५२/४८/८३

दिनांक : लखनऊ ८ मार्च, १९९४

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ की नियमावली के नियम-२० द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उक्त नियमावली के नियम ४(२) के स्थान पर प्रस्तर-२ में उल्लिखित नियम तात्कालिक प्रभाव से प्रतिस्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

वर्तमान नियम

अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा	कार्यकारी अध्यक्ष	सदस्य

डॉ० सूर्य प्रसाद
सचिव, उच्च शिक्षा

संख्या-सी०एम० ८(१)/१५-१४-९४-५२(४८)/८३ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(१) सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) नयी दिल्ली।

(२) निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।

(३) शिक्षा सचिव, शाखा के समस्त अनुभाग।

(४) वित्त (सेवाएँ) अनुभाग-२/वित्त ई-११।

(५) रजिस्ट्रार फर्म्स तथा सोसाइटीज़, उ०प्र० लखनऊ।

आज्ञा से,
श्याम लाल केसरवानी
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या - ६३१/१५-१४-९४-५२(४८)/८३

लखनऊ : दिनांक ६ जून, १९९४

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ की नियमावली के नियम २० द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उक्त निम्नलिखित स्तम्भ १ में उल्लिखित वर्तमान नियमों के स्थान पर स्तम्भ-२ में उल्लिखित नियम रखे जाने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

वर्तमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
१	**२**
नियम ५(६) यदि कोई सदस्य संस्थान की सदस्यता से त्याग पत्र देना चाहे तो वह संस्थान में कार्यकारी उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है, जो स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होगा।	५(६) यदि कोई सदस्य संस्थान की सदस्यता से त्याग पत्र देना चाहे तो वह संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है, जो स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होगा।
नियम-६ अध्यक्ष उपाध्यक्ष और कार्यकारी उपाध्यक्ष	नियम-६ अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी उपाध्यक्ष।
६.१ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री संस्थान के अध्यक्ष होंगे तथा नियम-४ में उल्लिखित ५ उपाध्यक्ष होंगे।	६.१ उत्तर प्रदेश सरकाार के मुख्यमंत्री संस्थान के अध्यक्ष होंगे तथा नियम-४ में उल्लिखित ४ उपाध्यक्ष होंगे।
६.२ संस्थान में एक कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए की जायेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष की नियुक्ति बिना सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। उनको इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन अथवा मानदेय दिया जायेगा।	६.२ संस्थान में एक कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष तथा एक कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए की जायेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति बिना सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। उनको इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन अथवा मानदेय दिया जायेगा।

६.३ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों की अनुपस्थिति में कार्यकारी उपाध्यक्ष उनका कार्य करेंगे और उनके अधिकारों का प्रयोग करेंगे।	६.३ अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष तथा कार्यकारी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी उपाध्यक्ष उनका कार्य करेंगे और उनके अधिकारों का प्रयोग करेंगे।
६.४ कार्यकारी उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को दे सकते हैं जो अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगा।	६.४ कार्यकारी अध्यक्ष और कार्यकारी उपाध्यक्ष अपना लिखित त्याग पत्र अध्यक्ष को दे सकते हैं जो अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगा।
६.५ कार्यकारी उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति हो जाने पर राज्य सरकार द्वारा उस पद पर नियुक्ति की जायेगी।	६.५ कार्यकारी अध्यक्ष और कार्यकारी उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्य सरकार द्वारा उस पद पर नियुक्ति की जायेगी।
७.१ कार्यकारिणी तथा सामान्य सभा द्वारा निर्णय किये गये कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए संस्थान में एक पूर्णकालिक वैतनिक निदेशक की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा होगी। निदेशक कार्यकारी उपाध्यक्ष के निर्देश पर कार्य करेगा। निदेशक संस्थान का तथा कार्यकारिणी समिति का सदस्य तथा सचिव रहेगा।	७.१ कार्यकारिणी तथा सामान्य सभा द्वारा निर्णय किये गये कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए संस्थान में एक पूर्णकालिक वैतनिक निदेशक की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा होगी। निदेशक कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देश पर कार्य करेगा। निदेशक संस्थान का तथा कार्यकारिणी समिति का सदस्य तथा सचिव रहेगा।
७.२ राज्य सरकार एक ऐसे वरिष्ठ लेखाधिकारी की नियुक्ति करेगी जो संस्थान के समुचित लेखे तथा अन्य सम्बद्ध अभिलेखों का उत्तरदायी होगा। वह अभिलेखों का उत्तरदायी होगा। वह लेखे का वार्षिक विवरण, बैलेन्स शीट तथा अन्य सभी अर्थ संबंधी कार्य करेगा। लेखाधिकारी संस्थान के नियमों का पालन करेगा किन्तु आहरण वितरण का अधिकार निदेशक/कार्यकारी उपाध्यक्ष, को ही होगा। निदेशक/कार्यकारी उपाध्यक्ष व्यय सम्बन्धी मामलों में अन्तिम निर्णय लेने के अधिकारी होंगे।	७.२ राज्य सरकार एक ऐसे वरिष्ठ लेखाधिकारी की नियुक्ति करेगी जो संस्थान के समुचित लेखे तथा अन्य सम्बद्ध अभिलेखों का उत्तरदायी होगा। वह लेखे का वार्षिक विवरण, बैलेन्स शीट तथा अन्य सभी अर्थ, सम्बन्धी कार्य करेगा। लेखाधिकारी संस्थान के नियमों का पालन करेगा किन्तु आहरण तथा वितरण का अधिकार निदेशक/कार्यकारी अध्यक्ष को ही होगा। निदेशक/कार्यकारी अध्यक्ष व्यय सम्बन्धी मामलों में अन्तिम निर्णय लेने के अधिकारी होंगे।

६.२ तीनों प्रभागों के तीन वैतनिक उप निदेशक होंगे जिनकी नियुक्ति कार्यकारी उपाध्यक्ष के परामर्श से राज्य सरकार करेगी।	६.२ तीनों प्रभागों के लिए तीन वैतनिक उप निदेशक होंगे जिनकी नियुक्ति कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से राज्य सरकार करेगी।
६.४ कार्यकारी उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होगा इन तीनों प्रभागों का भी अध्यक्ष होगा।	६.४ कार्यकारी अध्यक्ष जो कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होगा, इन तीनों प्रभागों का भी अध्यक्ष होगा।
६.५ यदि आवश्यक हुआ तो कार्यकारी उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति के परामर्श से ऐसी उप समितियाँ गठित कर सकता है जो उक्त प्रभागों के कार्य के लिए उपयोगी हो किन्तु उप समितियों का अध्यक्ष कार्यकारी उपाध्यक्ष ही होगा।	६.५ यदि आवश्यक हुआ तो कार्यकारी उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति के परामर्श से ऐसी उप समितियाँ गठित कर सकता है, जो उक्त प्रभागों के कार्य के लिए उपयोगी हों किन्तु उप-समितियों का अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष ही होगा।
१२-द कोई भी सदस्य यदि अपना पद त्याग करना चाहें तो अपना त्याग पत्र कार्यकारी उपाध्यक्ष को दे सकता है।	१२-द कोई भी सदस्य यदि अपना पद त्याग करना चाहें तो अपना त्याग-पत्र कार्यकारी अध्यक्ष को दे सकता है जो स्वीकृति के दिनांक से प्रभावी होगा।
१२-छ कार्यकारिणी समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार समय-समय पर होंगी। किन्तु यदि किसी समय जबकि कार्यकारिणी समिति की बैठक न हो रही हो और कोई कार्य सम्पादन करना अत्यन्त आवश्यक हो या तुरन्त कोई कार्यवाही करना अपेक्षित हो तो कार्यकारी उपाध्यक्ष द्वारा ऐसे कार्य का सम्पादन किया जा सकता है अथवा कोई भी कार्यवाही की जा सकती है किन्तु इस प्रकार की कार्यवाही का प्रतिवेदन कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा और कार्यकारिणी समिति इस प्रकार की कार्यवाही का अवरोधनों अथवा अपवादों के अधीन यदि कोई हो, अनुसमर्थन कर सकती है।	१२-छ कार्यकारिणी समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार समय-समय पर होगीं। किन्तु यदि किसी समय जबकि कार्यकारिणी समिति की बैठक न हो रही हो और कोई कार्य सम्पादन करना अत्यन्त आवश्यक हो या तुरन्त कोई कार्यवाही करना अपेक्षित हो तो कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा ऐसे कार्य का सम्पादन किया जा सकता है अथवा कोई भी कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु इस प्रकार की कार्यवाही का प्रतिवेदन कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा और कार्यकारिणी समिति इस प्रकार की कार्यवाही का अवरोधनों अथवा अपवादों के अधीन यदि कोई हो अनुसमर्थन कर सकती है।
१६. सलेखों का निष्पादन संस्थान से संबंधित सभी संविदाएँ तथा अन्य विलेख संस्थान के	१६. सलेखों का निष्पादन संस्थान से संबंधित सभी संविदाएँ तथा अन्य विलेख संस्थान के

नाम से किये जायेंगे और संस्थान की ओर से उनका निष्पादन कार्यकारी उपाध्यक्ष/निदेशक द्वारा किया जायेगा।	नाम से किये जायेंगे और संस्थान की ओर से उनका निष्पादन कार्यकारी अध्यक्ष/निदेशक द्वारा किया जायेगा।

डॉ० सूर्य प्रसाद
सचिव, उच्च शिक्षा

संख्या-६३१(१)/१५-१४-६४-५२(४८)/८३ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(१) कार्यकारी अध्यक्ष, उ०प्र० हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
(२) सचिव भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) नयी दिल्ली।
(३) निदेशक, उ०प्र० हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
(४) वित्त सेवाएँ अनुभाग-२/वित्त ई-११।
(५) रजिस्ट्रार फर्म्स तथा सोसाइटीज़, उ०प्र० लखनऊ।

आज्ञा से,
श्याम लाल केसरवानी
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

भाषा (उर्दू) अनुभाग-१
संख्या - ७३(१)/२१-उर्दू-१-९८, तद्दिनांक
लखनऊ : दिनांक २८ अप्रैल, १९९८

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ की नियमावली के नियम २० के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उक्त नियमावली के निम्नलिखित नियमों में संशोधन करते हैं :-

उ०प्र० हिन्दी संस्थान (संशोधन नियमावली १९९८)

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१. (एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान (संशोधन नियमावली, १९९८) कही जायेगी।

(दो) यह नियमावली दिनांक २७-४-९८ से प्रभावी होगी।

नियम, ४, ५, ६, ७, ९, १२ एवं १६ का संशोधन

२. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ की नियमावली में जिसे आगे नियमावली कहा गया है स्तम्भ-१ में दिये गये नियमों के स्थान पर स्तम्भ-२ में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

स्तम्भ (एक) **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ (दो)** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
४.२ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष	४.२ अध्यक्ष, उ०प्र० विधान सभा कार्यकारी अध्यक्ष पदेन सदस्य
४.७ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी उपाध्यक्ष	४.७ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष सदस्य
५.६ यदि कोई सदस्य संस्थान की सदस्यता से त्याग-पत्र देना चाहे तो वह संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष को अपना त्याग-पत्र दे सकता है, जो स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होगा।	५.६ यदि कोई सदस्य संस्थान की सदस्यता से त्याग पत्र देना चाहे तो वह संस्थान के कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष को अपना त्याग-पत्र दे सकता है, जो स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होगा।

६. अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी उपाध्यक्ष :-	६. अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष :-
६.१ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री संस्थान के अध्यक्ष होंगे तथा नियम-४ में उल्लिखित-४ उपाध्यक्ष होंगे।	६.१ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री संस्थान के अध्यक्ष होंगे तथा अध्यक्ष, उ०प्र० विधान सभा, संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। संस्थान में चार उपाध्यक्ष तथा एक कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष होंगे।
६.२ संस्थान में कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष तथा एक कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष तथा एक कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए की जायेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति बिना सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। उनको इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन अथवा मानदेय दिया जायेगा।	६.२ कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए की जायेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति बिना सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है उनको इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन अथवा मानदेय दिया जायेगा।
६.३ अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष तथा कार्यकारी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी उपाध्यक्ष उनका कार्य करेंगे और उनके अधिकारों का प्रयोग करेंगे।	६.३ अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष तथा कार्यकारी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष उनका कार्य करेंगे और उनके अधिकारों का प्रयोग करेंगे।
६.४ कार्यकारी अध्यक्ष और कार्यकारी उपाध्यक्ष अपना लिखित त्याग-पत्र अध्यक्ष को दे सकते हैं जो अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगा।	६.४ कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष अपना लिखित त्याग-पत्र अध्यक्ष को दे सकते हैं जो अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगा।
६.५ कार्यकारी अध्यक्ष और कार्यकारी उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्य सरकार द्वारा उस पद पर नियुक्ति की जायेगी।	६.५ कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्य सरकार द्वारा उस पद पर नियुक्ति की जायेगी।
७.१ कार्यकारिणी तथा सामान्य सभा द्वारा निर्णय किये गये कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए संस्थान में एक पूर्णकालिक वैतनिक निदेशक की नियुक्ति उ०प्र० सरकार द्वारा होगी। निदेशक कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देश पर कार्य	७.१ कार्यकारिणी तथा सामान्य सभा द्वारा निर्णय किये गये कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए संस्थान में एक वैतनिक निदेशक की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जायेगी। निदेशक कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष के निर्देश पर

करेगा। निदेशक संस्थान का तथा कार्यकारिणी समिति का सदस्य तथा सचिव रहेगा।

७.२ राज्य सरकार एक ऐसे वरिष्ठ लेखाधिकारी की नियुक्ति करेगी जो संस्थान के समुचित लेखे तथा अन्य सम्बद्ध अभिलेखों का उत्तरदायी होगा। वह लेखे का वार्षिक विवरण बैलेन्स शीट तथा अन्य सभी - अर्थ, संबंधी कार्य करेगा। लेखाधिकारी संस्थान के नियमों का पालन करेगा किन्तु आहरण तथा वितरण का अधिकार निदेशक कार्यकारी अध्यक्ष को ही होगा। निदेशक/कार्यकारी अध्यक्ष व्यय संबंधी मामलों में अन्तिम निर्णय लेने के अधिकारी होंगे।

६.२ तीनों प्रभागों के लिए तीन वैतनिक उप निदेशक होंगे जिनकी नियुक्ति कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से राज्य सरकार करेगी।

६.४ कार्यकारी अध्यक्ष जो कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होगा, इन तीनों प्रभागों का भी अध्यक्ष होगा।

६.५ यदि आवश्यक हुआ तो कार्यकारी उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति के परामर्श से ऐसी उप समितियाँ गठित कर सकता है जो उक्त प्रभागों के कार्य के लिए उपयोगी हों किन्तु उप समितियों का अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष ही होगा।

१२-अ-२ कार्यकारी उपाध्यक्ष

१२-द कोई भी सदस्य यदि अपना पद त्याग करना चाहे तो अपना त्याग पत्र कार्यकारी अध्यक्ष को दे सकता है जो स्वीकृति के दिनांक से प्रभावी होगा।

१२-छ कार्यकारी समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार समय-समय पर होंगी किन्तु यदि किसी समय

कार्य करेगा। निदेशक संस्थान तथा कार्यकारिणी समिति का सदस्य तथा सचिव रहेगा।

७.२ राज्य सरकार एक ऐसे वरिष्ठ लेखाधिकारी की नियुक्ति करेगी जो संस्थान के समुचित लेखा तथा अन्य सम्बद्ध अभिलेखों का उत्तरदायी होगा वह लेखे का वार्षिक विवरण बैलेन्स शीट तथा अन्य सभी अर्थ, सम्बन्धी कार्य करेगा। लेखाधिकारी संस्थान के नियमों का पालन करेगा किन्तु आहरण तथा वितरण का अधिकार निदेशक/कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष व्यय सम्बन्धी मामलों में अन्तिम निर्णय लेने के अधिकारी होंगे।

६.२ तीनों प्रभागों के लिए तीन वैतनिक उप निदेशक होंगे जिनकी नियुक्ति कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष के परामर्श से राज्य सरकार करेगी।

६.४ कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष जो कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होगा इन तीनों प्रभागों का भी अध्यक्ष होगा।

६.५ यदि आवश्यक हुआ तो कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति के परामर्श से ऐसी उप समितियाँ गठित कर सकता है जो उक्त प्रभागों के कार्य के लिए उपयोगी हों किन्तु उप समितियों का अध्यक्ष कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष ही होगा।

१२-अ-२ कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष

१२-द कोई भी सदस्य यदि अपना पद त्याग करना चाहे तो अपना त्याग पत्र कार्यकारी उपाध्यक्ष को दे सकता है जो उसके स्वीकृति के दिनांक से प्रभावी होगा।

१२-छ कार्यकारी समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार समय-समय पर होंगी किन्तु यदि किसी समय

जबकि कार्यकारिणी समिति की बैठक न हो रही हो और कोई कार्य सम्पादन करना अपेक्षित हो तो कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा ऐसे कार्य का सम्पादन किया जा सकता है अथवा कोई भी कार्यवाही की जा सकती है किन्तु इस प्रकार की कार्यवाही का प्रतिवेदन कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा और कार्यकारिणी अपवादों के अधीन यदि कोई हो अनुसमर्थन कर सकती है।	जबकि कार्यकारिणी समिति की बैठक न हो रही हो और कोई कार्य सम्पादन करना अत्यन्त आवश्यक हो या तुरन्त कोई कार्यवाही करना अपेक्षित हो तो कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष द्वारा ऐसे कार्य का सम्पादन किया जा सकता है किन्तु इस प्रकार की कार्यवाही का विवरण कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा और कार्यकारिणी समिति इस प्रकार की कार्यवाही का संशोधनों अथवा अपवादों के अधीन यदि कोई हो, अनुसमर्थन कर सकती है।
१६. संलेखों का निष्पादन संस्थान से संबंधित सभी संविदाएँ तथा अन्य विलेख संस्थान के नाम से किये जायेंगे और संस्थान से उनका निष्पादन कार्यकारी अध्यक्ष/निदेशक द्वारा किया जायेगा।	१६. संलेखों का निष्पादन संस्थान से संबंधित सभी संविदाएँ तथा अन्य विलेख संस्थान के नाम से किये जायेंगे और संस्थान की ओर से उनका निष्पादन कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष/निदेशक द्वारा किया जायेगा।

(आर०एस० सक्सेना)
विशेष सचिव

संख्या-७३(१)/२१-उर्दू-१-६८, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(१) कार्यकारी अध्यक्ष, उ०प्र० हिन्दी संस्थान, लखनऊ।

(२) सचिव भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), शास्त्री भवन, नयी दिल्ली।

(३) निदेशक, उ०प्र० हिन्दी संस्थान, लखनऊ।

(४) वि०वि० (सेवाएँ) अनुभाग-२/वि०वि० (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-११।

(५) रजिस्ट्रार फर्म्स तथा सोसाइटीज़, उ०प्र० लखनऊ।

(६) मा० निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/मा० अध्यक्ष विधान सभा/मा० मंत्री माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा।

आज्ञा से,
(आर०एस० सक्सेना)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

भाषा अनुभाग-४

संख्या - ३६४/इक्कीस-४-२००७-६(२१)/२००७

लखनऊ : दिनांक १८ जून, २००७

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ की नियमावली के नियम २० द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उक्त नियमावली के स्तम्भ-१ में उल्लिखित वर्तमान नियमों के स्थान पर स्तम्भ-२ में उल्लिखित नियम-२ प्रतिस्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

स्तम्भ (१) **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ (२)** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
नियम-४ (४) (५) (६)	नियम-४ का ४(४) (५) (६)
४ सूचनामंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार।	निकाल दिया जायेगा इनके स्थान पर प्रमुख सचिव, भाषा को नामित किया जायेगा।
५. राज्यमंत्री, सूचना, उत्तर प्रदेश सरकार।	
६. राज्यमंत्री, शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार।	
४(१७) 'कुलपति, कुमायूँ विश्वविद्यालय नैनीताल।'	४(१७) 'कुलपति, छत्रपति साहूजी महाराज, चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ (पदेन सदस्य) होंगे।'
४(१८) 'कुलपति, गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर।'	४(१८) 'कुलपति, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ पदेन सदस्य होंगे।'
६(२) 'कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए की जायेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति बिना सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। उनको इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन अथवा मानदेय दिया जायेगा।'	६(२) 'कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार हिन्दी भाषा एवं साहित्य के किसी गैर सरकारी विद्वान व्यक्ति की जायेगी, जिनके कार्यकाल की अवधि ०१ वर्ष की होगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति बिना सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। उन्हें इस

कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन/मानदेय दिया जायेगा।

डॉ० अनिता भटनागर जैन
सचिव

संख्या-३६४(१)/इक्कीस-४-२००७, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(१) कार्यकारी अध्यक्ष, उ०प्र० हिन्दी संस्थान, लखनऊ।

(२) सचिव भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), शास्त्री भवन, नयी दिल्ली।

(३) निदेशक, उ०प्र० हिन्दी संस्थान, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त संशोधित नियमों के अनुसार नियमावली में संशोधन कराने का कष्ट करें।

(४) निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/मा० अध्यक्ष विधान सभा।

(५) निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री जी।

(६) निजी सचिव, सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।

(७) वित्त सेवाएँ अनुभाग-२/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-७।

(८) रजिस्ट्रार फर्म्स तथा सोसाइटीज़, उ०प्र० लखनऊ।

(९) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
चन्द्र मौलि शुक्ल
ज्येष्ठ भाषा अधिकारी

उत्तर प्रदेश शासन

भाषा अनुभाग-४

संख्या - ४०८/इक्कीस-४-२००७-६(२१)/२००७

लखनऊ : दिनांक २८ जून, २००७

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ की नियमावली के नियम २० द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल कार्यालय ज्ञाप संख्या-३६४/इक्कीस-४-२००७-६(२१)/२००७, दिनांक १८ जून, २००७ द्वारा संस्थान की नियमावली के नियत-६(२) में किये गये संशोधन को निरस्त करते हुए स्तम्भ-१ में उल्लिखित वर्तमान नियमों के स्थान पर स्तम्भ-२ में उल्लिखित नियम-२ प्रतिस्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

स्तम्भ (१) **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ (२)** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
४(२) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष (पदेन सदस्य) होंगे।	४(२) निरस्त किया जाता है।
६(२) कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार हिन्दी भाषा एवं साहित्य के किसी गैर सरकारी विद्वान व्यक्ति की जायेगी, जिनके कार्यकाल की अवधि ०१ वर्ष की होगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति बिना सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। उन्हें इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन/मानदेय दिया जायेगा।	६(२) अध्यक्ष, उ०प्र० विधान सभा के स्थान पर एक पूर्णकालीन कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा हिन्दी भाषा एवं साहित्य के किसी गैर सरकारी विद्वान व्यक्ति से की जायेगी, जिनके कार्यकाल की अवधि ०१ वर्ष की होगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। उन्हें इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन/मानदेय दिया जायेगा।
६(३) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष तथा कार्यकारी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में	६(३) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पूर्णकालीन कार्यकारी अध्यक्ष उनके अधिकारों का प्रयोग करेंगे।

कार्यकारी उपाध्यक्ष उनका कार्य करेंगे और उनके अधिकारों का प्रयोग करेंगे।	
६(४) कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष अपना लिखित त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकते हैं जो अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगा।	६(४) निरस्त किया जाता है।
६(५) कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्य सरकार द्वारा उस पद पर नियुक्ति की जायेगी।	६(५) निरस्त किया जाता है।
२१(ग) नया नियम का बढ़ाया जाना।	२१(ग) उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की नियमावली में जहाँ-जहाँ कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष आया है, उसके स्थान पर कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष रख दिया जायेगा।

डॉ० अनिता भटनागर जैन
सचिव

संख्या-४०८(१)/इक्कीस-४-२००७, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(१) कार्यकारी अध्यक्ष, उ०प्र० हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
(२) सचिव भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), शास्त्री भवन, नयी दिल्ली।
(३) निदेशक, उ०प्र० हिन्दी संस्थान, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त संशोधित नियमों के अनुसार नियमावली में संशोधन कराने का कष्ट करें।
(४) निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/मा० अध्यक्ष विधान सभा।
(५) निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री जी।
(६) निजी सचिव, सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
(७) वित्त सेवाएँ अनुभाग-२/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-७।
(८) रजिस्ट्रार फर्म्स तथा सोसाइटीज़, उ०प्र० लखनऊ।
(९) गार्ड फाईल।
(१०) गोपन अनुभाग-१

आज्ञा से,
चन्द्र मौलि शुक्ल
ज्येष्ठ भाषा अधिकारी

उत्तर प्रदेश शासन

भाषा अनुभाग-४

संख्या - ६१४/इक्कीस-४-२००७-६(२१)/२००७

लखनऊ : दिनांक ३१ अगस्त, २००७

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ की नियमावली के नियम २० द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उक्त नियमावली के स्तम्भ-१ में उल्लिखित वर्तमान नियमों के स्थान पर स्तम्भ-२ में उल्लिखित नियम-२ प्रतिस्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

स्तम्भ (१) **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ (२)** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
४(३) शिक्षा मंत्री, उपाध्यक्ष उ०प्र सरकार, (पदेन सदस्य)।	४(३) निरस्त किया जाता है।
६(१) उ०प्र० सरकार के मुख्यमंत्री संस्थान के अध्यक्ष होंगे तथा अध्यक्ष, उ०प्र० विधान सभा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। संस्थान में चार उपाध्यक्ष तथा एक कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष होंगे।	६(१) उ०प्र० सरकार के मुख्यमंत्री संस्थान के अध्यक्ष होंगे तथा राज्य सरकार द्वारा नामित एक पूर्णकालीन कार्यकारी अध्यक्ष होंगे।
६(२) तीनों प्रभागों के लिए तीन वैतनिक उप निदेशक होंगे जिनकी नियुक्ति कार्यकारी पूर्णकालीन उपाध्यक्ष के परामर्श से राज्य सरकार करेगी।	६(२) तीनों प्रभागों के लिए तीन वैतनिक उपनिदेशक होंगे जिनकी नियुक्ति पदोन्नति द्वारा चयन समिति की संस्तुति के उपरान्त कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष तथा उनके तैनात न रहने की स्थिति में निदेशक के परामर्श से राज्य सरकार करेगी।
१३(१३) नये नियम का बढ़ाया जाना।	१३(१३) ऐसे विषय जिन पर नियमावली में व्यवस्था न होने पर उन विषयों पर उ०प्र० शासन में स्थापित नियमों के अनुसार कार्यवाही कराना।

डॉ० अनिता भटनागर जैन
सचिव

संख्या-६१४(१)/इक्कीस-४-२००७, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(१) कार्यकारी अध्यक्ष, उ०प्र० हिन्दी संस्थान, लखनऊ।

(२) सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), शास्त्री भवन, नयी दिल्ली।

(३) निदेशक, उ०प्र० हिन्दी संस्थान, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त संशोधित नियमों के अनुसार नियमावली में संशोधन कराने का कष्ट करें।

(४) निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/मा० अध्यक्ष विधान सभा।

(५) निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री जी।

(६) निजी सचिव, सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।

(७) वित्त सेवाएँ अनुभाग-२/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-७।

(८) रजिस्ट्रार फर्म्स तथा सोसाइटीज़, उ०प्र० लखनऊ।

(९) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
महेश प्रसाद
अनु० सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

भाषा अनुभाग-४

संख्या - ६५/इक्कीस-४-२०१६-६(२१)/२००७

लखनऊ : दिनांक ११ जुलाई, २०१६

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ की नियमावली के नियम-२० द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उक्त नियमावली में निम्नानुसार स्तम्भ-१ में उल्लिखित विद्यमान नियम ४(४) के स्थान पर स्तम्भ-२ में उल्लिखित नियम प्रतिस्थापित किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान करते हैं :-

स्तम्भ (१)	**स्तम्भ (२)**
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
४(४) सचिव, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार सदस्य (पदेन सदस्य)	४(४) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार सदस्य (पदेन सदस्य)

भवदीय

किशन सिंह अटोरिया

प्रमुख सचिव

संख्या-६५(१)/इक्कीस-४-२०१६-६(२१)/२००७ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(१) कार्यकारी अध्यक्ष, उ०प्र० हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
(२) सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), शास्त्री भवन, नयी दिल्ली।
(३) निदेशक, उ०प्र० हिन्दी संस्थान, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-१६/हि०सं०/प्रशा०/२०१६ दिनांक ४ मई, २०१६ के संदर्भ में।
(४) निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
(५) निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री जी।
(६) निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव भाषा विभाग।
(७) वित्त (सेवाएँ) अनुभाग-२/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-७।
(८) रजिस्ट्रार फर्म्स तथा सोसाइटीज़, उ०प्र० लखनऊ।
(९) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बृजेश चन्द्र)

अनुसचिव (भाषा)

संख्या-11026/10/1/90

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीकरण संख्या 1142 1990,

फाइल संख्या I .....40021 .....

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन, हजरतगंज, लखनऊ ..... को दिये गये **रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या** 1409/76–77 दिनांक 30.12.1976 को दिनांक 30.12.1989 **से पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।**

25/– रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनाक 5.1.1990

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश